

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/ 2784

दिनांक : 19-12-15

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 को 11:00 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :-

- श्री पुरुषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी/प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :-
 - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर
 - उप नगर नियोजक, उदयपुर
 - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक अजमेर (प्रतिनिधि कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर)
 - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक जोधपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर)
 - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक जयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर)
 - जिला नगर नियोजक, टोंक
 - जिला नगर नियोजक, भीलवाड़ा

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

| | | |
|-----|---|----|
| 01. | प्रस्तुत प्रकरणों की कुल संख्या | 36 |
| 02. | स्वीकृत प्रकरणों की संख्या | 33 |
| 03. | अन्य दस्तावेजों के अभाव में आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने | 03 |

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 10.09.2015 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक में समस्त प्रकरणों पर विचार-विमर्श एवं निर्णय पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि सभी नगरों का एकीकृत विकास किया जाना चाहिए और कहा कि बड़ी योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा Housing for all के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तथा यह भी निर्देश दिये कि मास्टर प्लान बनाते समय आम जन की निजी भूमि के स्थान पर राजकीय/सरकारी भूमि को भू-उपयोग सुविधा क्षेत्र पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित रखे जाने का यथा संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि आम जन को परेशानी न हो

तथा मास्टर प्लान लचीला होना चाहिए। सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये की भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही के पश्चात् 90-ए की कार्यवाही कर ले-आउट प्लान व पट्टे जारी करने की कार्यवाही 3 माह में सम्पन्न कर दी जानी चाहिए एवं नगरीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य भी आवश्यक रूप से स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। तथा उपरोक्त अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा Housing for all के प्रावधानों की पालना हेतु 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक भूमि के ले-आउट प्लान में उपरोक्त नीतियों के अनुसार भू-खण्डों का आरक्षण किया जाना एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता की सुनिश्चितता निदेशालय के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा की जावेगी। अतः ऐसे समस्त स्वीकृत ले-आउट प्लान नगरीय निकायों के स्तर पर प्राप्त होते हैं उन ले-आउट प्लान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा Housing for all के प्रावधानों को सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित नगरीय निकायों से पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को अधिकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में समस्त नगरीय निकायों को पृथक से निर्देशित किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 तथा Housing for all के प्रावधानों के तहत आरक्षित भूमि के रिकार्ड का संधारण भी निदेशालय के स्तर पर किया जा सके, ताकि E.W.S./L.I.G. हेतु आरक्षित भूमियों के लाभार्थियों हेतु उचित कार्यवाही की जा सके।

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा एवं लिये गये निर्णयों का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/2784-86 दिनांक : 18-12-2015

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानीय क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/2787-89 दिनांक : 18-12-2015

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर।
2. आयुक्त, नगर परिषद, नागौर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, आसीन्द, देवली, परबतसर, गंगापुर (भीलवाड़ा), उनियारा, डीडवाना, सुरतगढ़, रतनगढ़, भादरा, पीलीबंगा, नीमकाथाना, रीगंस, नवलगढ़, विराटनगर, फुलेरा, शाहपुरा, चाकसु, सुमेरपुर, तखतगढ़, आबूरोड, कपासन, फतहनगर-सनवाड़, छोटी सादड़ी, आभेट, कानोड, कुशलगढ़।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/2790-94 दिनांक : 18-12-2015

वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।

विषय:-नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित
राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही
विवरण के संबंध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित
भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक
07.12.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् अग्रिम
कार्यवाही हेतु जारी किया जा रहा है।

यद्यपि सम्पूर्ण एजेण्डों का समूचित परीक्षण किया गया है। तथापि सहवन से कोई
त्रुटि रह जाती है तो अविलम्ब इस कार्यालय को सूचित करने का श्रम करें।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-IV/15/2795-97 दिनांक : 18-12-2015
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर।
2. आयुक्त, नगर परिषद, नागौर, हनुमानगढ़, चित्तोडगढ़।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पुष्कर, आसीन्द, देवली, परबतसर, गंगापूर
(भीलवाड़ा), उनियारा, डीडवाना, सुरतगढ़, रतनगढ़, भादरा, पीलीबंगा, नीमकाथाना,
रीगंस, नवलगढ़, विराटनगर, फुलेरा, शाहपुरा, चाकसु, सुमेरपुर, तखतगढ़, आबूरोड़,
कपासन, फतहनगर-सनवाड़, छोटी सादड़ी, आमेट, कानोड़, कुशलगढ़।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)


वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- stpdlb@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

बैठक उपस्थिति

नगर निगम/परिषद/पालिका से सम्बन्धित भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डीएलबी/एसटीपी/एसएलसी/सीलू/14/01 दिनांक 11.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 को सभागार निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण :-

| क्र.सं. | नाम अधिकारी | नाम निकाय |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | Purushotam Biyani | Director Cum Joint Secretary, DLB |
| 2. | R.K.Vijayvargia | S.T.P., DLB |
| 3. | Sugreeb Singh | S.T.P., Bikaner |
| 4. | Arvind Sing Kanawat | D.T.P., Udaipur Zone |
| 5. | Ganpat Lal Suthar | A.T.P. Jaipur Zone |
| 6. | Nansee Jain | A.T.P. Ajmer Zone |
| 7. | Anupam Sharma | D.T.P., Bhilwara |
| 8. | Kishan Khanda | D.T.P., Tonk |
| 9. | Mahesh Chandra Pareek | A.T.P. Jaipur Zone |
| 10. | Mahima Dangi | E.O. Fulera |
| 11. | Suresh Kumar Meena | Viratnagar |
| 12. | Dharpal Jat | M.C. Hanumangarh |
| 13. | Salim Khan | E.O.N.P. N.K.T. Sikar |
| 14. | Navaneet Kumar | E.O. Navalgarh |
| 15. | Pawan Meena | E.O. Asind |
| 16. | Mamta Nagar | E.O. Shahpura |
| 17. | Rajulal Meena | E.O. Uniyara |
| 18. | Ganpat Lal Khatik | E.O., Kushalgarh |
| 19. | Mukesh Kumar | E.O., Sumerpur |


वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 का ऐजेण्डावार कार्यवाही विवरण

| अजमेर जोन | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|---|
| पुष्कर | | | | | | |
| क्र. सं. | प्रार्थी का नाम | राजस्व ग्राम/खसरा नं. | मास्टर प्लान में भू-उपयोग | प्रस्तावित भू-उपयोग | क्षेत्रफल | समिति का निर्णय |
| 01 | श्री कामराज पुत्र श्री भाणु सोभागमल पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद व अन्य | राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नं. 174 का पार्ट व 180 में से 7455.07 व.ग. (6233.34 व.मी.) | अन्य सामुदायिक सुविधायें | हैण्डी ब्राफ्ट व होटल | 0.623 है0 | स्वीकृत |
| आसीन्द | | | | | | |
| 02 | श्री मांगू भील पुत्र श्री प्रताप भील, श्री रतन लाल पुत्र श्री सुखा भील | राजस्व ग्राम आसीन्द के ख. नं. 3663 से 3668, 3677,3678 व 3536 कुल किता 9, क्षेत्रफल 1.92 है0 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 1.92 है0 | स्वीकृत |
| 03 | श्री मांगू भील पुत्र श्री प्रताप भील | राजस्व ग्राम आसीन्द के ख. नं. 1115, 1116, 1117, 1119, 3548 कुल किता 5, क्षेत्रफल 1.17 है0 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 1.17 है0 | स्वीकृत |
| देवली | | | | | | |
| 04 | श्री सत्यनाराण पुत्र स्व. श्री भूरालाल सुवालका | राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 4029 व 4031, रकबा 0.18 है0 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.18 है0 | स्वीकृत |
| | श्री उम्मेद कुमार पुत्र स्व. श्री भूरालाल सुवालका | राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5179/4032, रकबा 0.14 है0 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.14 है0 | |
| | श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री भूरालाल सुवालका | राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5176/4032, रकबा 0.14 है0 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.14 है0 | |
| | श्री अनिल कुमार व पुष्परज पुत्र स्व. श्री ताराचन्द | राजस्व ग्राम देवली के खसरा नं. 5174/4032, रकबा 0.14 है0 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.14 है0 | |
| 05 | श्री प्रभू लाल पुत्र श्री गंगाराम, श्रीमति कमला पत्नि श्री प्रभूलाल व श्रीमति कमला पत्नि श्री किशन लाल | राजस्व ग्राम ऊचा खसरा नं. 1091, 1092,1093,1094, 1095 | परिधि नियंत्रण पट्टी | आवासीय | 2.91 है0 | आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |
| परबतसर | | | | | | |
| 06 | श्री जयसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह | राजस्व ग्राम पीपलाद के खसरा नं. 48 से 55 रकबा 6.10 है। | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 6.10 है0 | स्वीकृत |
| 07 | श्रीमती सोनिया कंवर पत्नि श्री दृगपाल सिंह | राजस्व ग्राम परबतसर के खसरा नं. 98 (पुराना) व 138 (नया) रकबा 0.57 है0 | वृक्षारोपण पट्टी, सरकारी अर्द्धसरकारी | शैक्षणिक (कोचिंग सेन्टर) प्रयोजनार्थ | 0.57 है0 | स्वीकृत |
| नागौर | | | | | | |
| 08 | इमानुएल स्कूल सोसाइटी, अध्यक्ष श्री विशप सेमुएल थोमस | राजस्व ग्राम नागौर के खसरा नं. 62 रकबा 1936 वर्गगज | आवासीय से | शैक्षणिक प्रयोजनार्थ | 0.161 है0 | स्वीकृत |
| गंगापूर (भीलवाड़ा) | | | | | | |
| 09 | महाराणा प्रताप राजपूत सेवा एवं शिक्षण संस्थान | राजस्व ग्राम मैलोनी खेड़ा के खसरा नं. 3198/2261, रकबा 0.31 है0 | राजकीय | शैक्षणिक प्रयोजनार्थ | 0.31 है0 | स्वीकृत |
| उनियारा | | | | | | |
| 10 | नगर पालिका उनियारा | राजस्व ग्राम उनियारा के खसरा नं. 975 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ (गाडोलिया लुहार हेतु आवंटित भूमि) | 1.32 है0 | स्वीकृत |
| डीडवना | | | | | | |
| 11 | श्री नेमीचन्द तंवर पुत्र श्री जगन्नाथ | राजस्व ग्राम डीडवना के खसरा नं. 189/1 | पब्लिक यूटीलीटी | वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ | 728.43 व. मी. में से 579.43व. मी. भूमि | स्वीकृत |
| बीकानेर जोन | | | | | | |
| हनुमानगढ़ | | | | | | |
| 12 | श्री तरसेम कुमार पुत्र श्री बृजलाल | चक नं. 48 एनजीसी के प.न. 128/263 के मु.नं. 34, किला नं. 21/1/0.017, प.न. 128/264 के मु.नं. 43, किला नं. 1/2/0.022 कुल 0.039 है (390 व.मी.) | केन्द्रीय बस स्टेण्ड | व्यावसायिक | 0.039 है0 | स्वीकृत |
| 13 | श्री गुलजार, श्री जग्गा सिंह पुत्र श्री जीत सिंह रामगढ़िया साकिन | चक नं. 48 एनजीसी के प.न. 131/261 के किला नं. 2/0.090, 3/0.036 कुल 0.126 है | वृक्षारोपण पट्टी व परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | व्यावसायिक | 0.126 है0 | स्वीकृत |
| सूरतगढ़ | | | | | | |
| 14 | श्री नरेन्द्र मूलचन्द धनवानी पुत्र श्री मूलचन्द धनवानी व अन्य | राजस्व ग्राम नाणकसर के खसरा नं0 272/234 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 2.922 है0 | स्वीकृत |
| 15 | राजस्थान आवासन मण्डल | राजस्व ग्राम सूरतगढ़ के खसरा नं0 355/6 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 84.72 है0 | स्वीकृत |

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

| रतनगढ़ | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|-----------|---|
| 16 | श्री जगदीश सिंह चारण पुत्र श्री रतनदान चारण | राजस्व ग्राम देराजसर के खसरा नं० 301/264/259, | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | व्यावसायिक | .091 है० | स्वीकृत |
| भादरा | | | | | | |
| 17 | नगर पालिका, भादरा | मुरब्बा नं. 107, किला नं. 2, मुरबा नं. 94, किला नं. 19/2 रकबा 0.54 है० | परिधि नियंत्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.54 है० | स्वीकृत |
| जयपुर जोन | | | | | | |
| नीम का थाना | | | | | | |
| 18 | श्री रामनिवास सैनी, नवल किशोर जिन्दल, रमेश कुमार सैनी, विश्वनाथ सैनी व ओम प्रकाश सैनी | नीम का थाना में आवासीय पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1476.33 वर्गगज | फुटकर व्यापार एवं सामान्य व्यावसायिक व पीयू | व्यावसायिक | 0.123 है० | स्वीकृत |
| रींगस | | | | | | |
| 19 | मैसर्स स्काई वे कॉलोनाइजर्स प्रा.लि. अधिकृत सुशील गुप्ता | राजस्व ग्राम रींगस के खसरा नं. 5295/1, रकबा 5.3863 है. में से 1.924 है. | परिधि नियंत्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 1.924 है० | स्वीकृत |
| नवलगढ़ | | | | | | |
| 20 | श्री संजय कुमार पुत्र श्री आशाराम मेघवंशी | राजस्व ग्राम नवलडी के खसरा नं. 166 रकबा 0.03 है० | परिधि नियंत्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.03 है० | स्वीकृत |
| विराटनगर | | | | | | |
| 21 | श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार धानक | राजस्व ग्राम पापड़ी के खसरा नं. 1196, 1197, 1198 कुल रकबा 3.33 है० | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 3.33 है० | स्वीकृत |
| फुलेरा | | | | | | |
| 22 | श्री घनश्याम वर्मा पुत्र श्री भंवर लाल वर्मा | राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 1175/253, 1178/256, 1181/260, 1184/262 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 0.98 है० | स्वीकृत |
| | श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा | राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 2049, 2050, 2051 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 0.98 है० | |
| | श्री दामोदर कुमावत पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश दुलानी | राजस्व ग्राम बाघपुरा के ख.नं. 159/392 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 0.97 है० | |
| | श्री तनुज शर्मा पुत्र स्व.श्री रामेश्वर लाल शर्मा | राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 2038, 2052, 2053, 2054 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 0.97 है० | |
| | श्री तनुज शर्मा पुत्र स्व.श्री रामेश्वर लाल शर्मा | राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 2033, 2054, 2041, 2042 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 0.50 है० | |
| | श्री तनुज शर्मा पुत्र स्व.श्री रामेश्वर लाल शर्मा | राजस्व ग्राम भादरपुर के ख.नं. 2039, 2040, 2043, 2048 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 2.23 है० | |
| | मॉ वैष्णो सिटी | राजस्व ग्राम फुलेरा के ख.नं. 1018, 1019, 1021/1, रकबा 4.84 है० में से 3.39 है. | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 3.39 है० | |
| शाहपुरा | | | | | | |
| 23 | श्री साधु राम यादव जरिये मुख्यतार आम खातेदार श्री राजीव कुमार व संत कुमार | राजस्व ग्राम विदारा के खसरा नं. 816, 825/1619, 825/1617, 816/1618 कुल किला 4 | वृक्षारोपण भूमि/वन भूमि | व्यावसायिक | 1.845 है० | स्वीकृत |
| जोधपुर जोन | | | | | | |
| सुमेरपुर | | | | | | |
| 24 | श्रीमति शकुन्तला पत्नि विजय मेवाडा, श्रीमति मंजु पत्नि सुभाष मेवाडा, श्रीमति कंचन पत्नि भरत मेवाडा एवं श्रीमति मोना पत्नि हितेन्द्र मेवाडा | राजस्व ग्राम अणगौर/ खसरा नं. 185, 186, 187 | आवासीय | व्यवसायिक | 1.23 है० | आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |
| तखतगढ़ | | | | | | |
| 25 | श्री जैसाराम पुत्र मंगाराम जाति मीणा | राजस्व ग्राम बिदुड़ा के खसरा नं. 616, 613, 613/ | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 4.93 है० | स्वीकृत |
| उदयपुर जोन | | | | | | |
| कपासन | | | | | | |
| 26 | श्री श्याम सुन्दर, रमेश कुमार, राजेन्द्र कुमार पिता श्री मांगीलाल जी राठी | राजस्व ग्राम कपासन के आराजी संख्या 5934/1, 6864/5934, 5935 कुल क्षेत्रफल 0.92 है० | बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं ओ.सी.एफ. | आवासीय | 0.92 है० | आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |
| फतहनगर -सनवाड़ | | | | | | |
| 27 | श्री तुलसीराम पुत्र श्री देवजी | राजस्व ग्राम वासनी माफी के खसरा नं० 629, 632/1, 633/1, कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा (61855.2 वर्गफीट) | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 0.574 है० | स्वीकृत |

नगर निगम/परिषद/पालिका से संबंधित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.12.2015 का एजेण्डावार कार्यवाही विवरण

| छोटी सादडी | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 28 | श्री शान्ति लाल पुत्र श्री भागीरथ उपाध्याय | राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं० 766 कुल रकबा 0.49 है० में से 0.25 है० | थोक व्यापार | आवासीय | 0.25 है० | स्वीकृत |
| | श्री देवेन्द्र पुत्र श्री शान्ति लाल उपाध्याय | राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं० 766/2688, रकबा 0.24 है० | थोक व्यापार | आवासीय | 0.24 है० | |
| 29 | श्रीमती मांगी बाई पत्नि श्री शांतिलाल पाटीदार | राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं० , 653/2656 रकबा 0.16 है० | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 0.16 है० | स्वीकृत |
| | श्री शांतिलाल पुत्र श्री बाबूलाल पाटीदार | राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं० 653, रकबा 0.17 है० | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय | 0.17 है० | |
| आमेट | | | | | | |
| 30 | श्री प्यारे लाल पुत्र श्री चम्पा लाल, श्रीमती पुष्पा पत्नि श्री सुरेश कुमार, श्रीमती कमला पत्नि श्री नारायण लाल खटीक | राजस्व ग्राम आमेट के खसरा नं० 2930,2931,2932 रकबा 0.26 है० | पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.26 है० | स्वीकृत |
| कानोड | | | | | | |
| 31 | श्रीमती रोशन देवी हरिजन पिता मांगु हरिजन | राजस्व ग्राम कानोड के खसरा नं. 187 मी, 188 मी, | अन्य सामुदायिक सुविधारे | आवासीय | रकबा 01-02-1 5 बीघा | स्वीकृत |
| अतिरिक्त एजेण्डा | | | | | | |
| बीकानेर जोन | | | | | | |
| पीलीबंगा | | | | | | |
| 32 | श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री मन्नीराम पुनिया | पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के पत्थर नं. 33/307 मुरब्बा नं. 18, मुरब्बा नं. 8 | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 2.793 है० | स्वीकृत |
| जोधपुर जोन | | | | | | |
| आबूरोड | | | | | | |
| 33 | मैसर्स वाइटल ग्रुप जरिये श्री दीपक कुमार पुत्र श्री शान्तिलाल व श्री रीनेश कुमार पुत्र श्री अम्बालाल | राजस्व ग्राम मानपुर के खसरा नं. 620 व 623 कुल किता 2, रकबा 5611.78 वर्गमीटर | | आवासीय | व्यावसायिक | 0.561 है० |
| उदयपुर जोन | | | | | | |
| चित्तौड़गढ़ | | | | | | |
| 34 | श्री चन्द्रमान सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह चौहान | राजस्व ग्राम चित्तौड़गढ़ के खसरा नं० 2876/1, 2876/2, 3490/2877 | | व्यावसायिक | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.502 है० |
| कुशलगढ़ | | | | | | |
| 35 | श्रीमती मंजुला पत्नि श्री मुकेश कुमार लुणावत एवं श्रीमती नीता पत्नि श्री मयंक कुमार लुणावत | राजस्व ग्राम कुशलगढ़ के सर्वे नं. 121 | खेल के मैदान/स्टेडियम | आवासीय प्रयोजनार्थ | 0.384 है० | स्वीकृत |
| जयपुर जोन | | | | | | |
| चाकसू | | | | | | |
| 36 | स्वागत कोलोनाईजर्स प्रा०लि० जरिये निदेशक श्री रूपनारायण पुत्र श्री लल्लूलाल | राजस्व ग्राम चाकसू (पूर्व) के खसरा नं. 162, 163, 169, 171 से 175, 179/11924, 180/11923, 301, 302, 303, 305, 306 रकबा 5.17 है० | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र | आवासीय प्रयोजनार्थ | 5.17 है० | स्वीकृत |

दिनांक 26.11.2015 तक प्राप्त उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त 5 प्रकरण प्राप्त होने पर अध्यक्ष, राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की अनुमति से बैठक में रखे गये। बैठक में कुल 36 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया है।

जोन वार प्रकरणों की संख्या

| क्र.स. | जोन | प्रकरणों की संख्या |
|------------|-------------|--------------------|
| 1 | अजमेर जोन | 11 |
| 2 | बीकानेर जोन | 07 |
| 3 | जयपुर जोन | 07 |
| 4 | जोधपुर जोन | 03 |
| 5 | उदयपुर जोन | 08 |
| कुल प्रकरण | | 36 |

प्रस्तावित भू-उपयोग अनुसार प्रकरणों की संख्या

| आवासीय | व्यावसायिक | संस्थानिक (स्कूल प्रयोजनार्थ) |
|--------|------------|-------------------------------|
| 24 | 9 | 3 |

नोट:- दो प्रकरण नगर पालिका द्वारा एवं एक प्रकरण राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा, कुल तीन प्रकरण राजकीय है।

एजेण्डा नं. 26/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/कपासन


| शहर कस्बे का नाम | कपासन |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम | श्री श्याम सुन्दर, रमेश कुमार, राजेन्द्र कुमार पिता श्री मांगीलाल राठी |
| 2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी | राजस्व ग्राम कपासन के आराजी संख्या 5934/1, 6864/5934, 5935 कुल क्षेत्रफल 0.92 हैक्टेयर |
| 3. क्षेत्रफल | 0.92 हैक्टेयर |
| 4. संदर्भित भूमि का "लैंड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग | बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें। |
| 5. प्रस्तावित भू-उपयोग | आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. भू-स्वामित्व की स्थिति | अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन के अनुसार वैध है। |
| 7. प्रकरण के तथ्य :- | <p>1. प्रश्नगत भूमि कपासन नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 02.09.04 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या-9 पर स्थित है। पहुंच मार्ग उपलब्ध है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। आवेदित स्थल के पूर्व दिशा में मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों राष्ट्रदूत व उदयपुर एक्सप्रेस में दिनांक 05.05.15 को प्रकाशित कराई गई है। जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 14.07.15 में कतिपय शर्तों के अध्वधीन आवेदित भूमि का बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p> |
| 8. प्रस्ताव :- | <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या-9 पर स्थित है। कपासन नगर का मुख्य विस्तार की दिशा राज्य राजमार्ग संख्या-9 की तरफ ही है। राज्य राजमार्ग संख्या-9 चित्तौड़गढ़ से उदयपुर को जाता है। उक्त राजमार्ग के दक्षिण में भी कपासन दरगाह की वजह से काफी विकास हो रहा है। यह दरगाह सावलियाजी रोड पर स्थित है। अतः तीव्र गति से हो रहे विकास के मध्यनजर आवेदित भूमि का बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्वधीन आवेदित भूमि के बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान, स्टेडियम एवं अन्य सामुदायिक सुविधायें से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या-9 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 100 फीट दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी। प्रश्नगत भूमि में से गुजरने वाली मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क के अन्तर्गत आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी। 2. प्रश्नगत भूमि में से विद्युत लाईन गुजर रही है। जिसे अन्यत्र स्थानान्तरित करवाना होगा अन्यथा विद्युत लाईन की क्षमता अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 के नियमानुसार खुला स्थल छोड़ना होगा। 3. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत किया जाना होगा। 4. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी। 5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा। <p>भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी। उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p> |

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर से विचार-विमर्श पश्चात् प्रकरण में विभागीय पत्र दिनांक 28.10.2015 में चाही गई सूचनाओं के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा नं. 27/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/फतहनगर-सनवाड़

| शहर करबे का नाम | फतहनगर-सनवाड़ |
|---|--|
| 1. आवेदक का नाम | श्री तुलसीराम पुत्र श्री देवजी |
| 2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी | राजस्व ग्राम वासनी माफी के खसरा नं0 629, 632/1, 633/1, कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा (61855.2 वर्गफीट) |
| 3. क्षेत्रफल | 0.5747 हेक्टेयर |
| 4. संदर्भित भूमि का "लैंड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र |
| 5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग | आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. भू-स्वामित्व की स्थिति | अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, फतहनगर-सनवाड़ के अनुसार वैध है। |
| 7. प्रकरण के तथ्य :- | <p>1. प्रश्नगत भूमि फतहनगर-सनवाड़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 13.07.2011 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल उदयपुर जाने वाले राज्य राजमार्ग नं.-9 पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 200 फीट प्रस्तावित है। प्रश्नगत भूमि के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र प्रातः काल में दिनांक 05.09.2015 को प्रकाशित करायी गई थी। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैध है। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 07.10.2015 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p> |
| 8. प्रस्ताव :- | <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या-9 पर स्थित है। राज्य राजमार्ग संख्या-9 चितौड़गढ़ से उदयपुर को जाता है। उक्त राजमार्ग के पश्चिम दिशा में उदयपुर की तरफ मावली नगर स्थित है। जो मावली जनक्शन के नाम से जाना जाता है। फतहनगर का विकास भी उक्त सड़क के सहारे मावली की तरफ ही हो रहा है। अतः नगर के बढ़ते आबादी विकास के मध्यनजर आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. प्रश्नगत भूमि फतहनगर से उदयपुर जाने वाले मुख्य राज्य राज मार्ग नं. 9 पर स्थित है। मास्टर प्लान-2031 के अनुसार सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 100 फीट में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।</p> <p>2. योजना मानचित्र का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत किया जाना होगा।</p> <p>3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्राथी की होगी।</p> <p>4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।</p> <p>5. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> |
| 9. | उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, फतहनगर-सनवाड़ एवं उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। |

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्याधिन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।



वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 28/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/छोटी सादडी

| | | |
|----|---|---|
| | शहर कस्बे का नाम | छोटी सादडी |
| 1. | आवेदक का नाम | श्री शान्ति लाल पुत्र श्री भागीरथ उपाध्याय श्री देवेन्द्र पुत्र श्री शान्ति लाल उपाध्याय |
| 2. | खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी | राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं0 766 कुल रकबा 0.49 हेक्टेयर में से 0.25 हेक्टेयर राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं0: 766/2688, रकबा 0.24 है. |
| 3. | क्षेत्रफल | 0.25 हेक्टेयर एवं 0.24 है0 |
| 4. | संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग | थोक व्यापार |
| 5. | आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग | आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. | भू-स्वामित्व की स्थिति | अधिशोषी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी के अनुसार वैध है। |
| 7. | प्रकरण के तथ्य :- | <p>1. प्रश्नगत भूमियाँ छोटी सादडी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में थोक व्यापार क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 19.03.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल तक पहुंच मार्ग के लिए दो आम रास्ते है। जिनमें से मास्टर प्लान अनुसार एक की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। भूमि के दूसरी तरफ 20 फीट आम रास्ता गुजर रहा है। जिसको भी 60 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में से 33 केवी की उच्च क्षमता की दो विद्युत लाईनें गुजर रही है।</p> <p>2. अधिशोषी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गई थी। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशोषी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैध है। थोक व्यापार से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 05.12.2014 द्वारा आवेदित भूमि का थोक व्यापार से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p> |
| 8. | प्रस्ताव :- | <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि थोक व्यापार से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमियाँ मास्टर प्लान अनुसार थोक व्यापार में आरक्षित है। थोक व्यापार हेतु प्रस्तावित भूमि में आवेदित भूमियों की स्थितियों एक कोने में होकर साइड में है। अतः थोक व्यापार की प्रस्तावित भूमि इन भूमियों के भू-उपयोग परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। आवेदकों द्वारा स्वयं की निजी भूमि पर नियमानुसार आवासीय उपयोग हेतु आवेदन किया गया है। सुनियोजित विकास, आवास की मूलभूत आवश्यकता, नगरीय आबादी के समीप एवं नगर पालिका की आय के मध्य नजर आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अधीन आवेदित भूमि के थोक व्यापार से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित स्थल तक पहुंच मार्ग के लिए दो आम रास्ते है। जिनमें से मास्टर प्लान अनुसार एक की चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। भूमि के दूसरी तरफ 20 फीट आम रास्ता गुजर रहा है। जिसको भी 60 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। अतः दोनों रास्तों के मध्य से 30-30 फीट दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।</p> <p>2. आवेदित भूमि में से 33 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक: प.18(44)नवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।</p> <p>3. दोनों ही भूमियाँ समीप-समीप स्थित है। अतः भूमियों का ले-आउट प्लान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत किया जायेगा तथा इन्टीग्रेसन इस प्रकार से किया जायेगा कि दोनों भूमियों की सड़क जुड़ी हुई हो, तथा समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।</p> <p>4. आवेदित स्थल तक पहुंच मार्ग के लिए मौके पर 40 फीट सड़क उपलब्ध है जिसकी चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।</p> <p>5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> |

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी व उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्याधिन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।



वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेण्डा नं. 29/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/छोटी सादडी

| शहर कस्बे का नाम | छोटी सादडी |
|--|---|
| 1. आवेदक का नाम | श्रीमती मांगी बाई पत्नि श्री शांतिलाल पाटीदार श्री शांतिलाल पुत्र श्री बाबूलाल पाटीदार |
| 2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कौलोनी | राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं0 653/2656, रकबा 0.16 है0 राजस्व ग्राम छोटी सादडी के खसरा नं0 653, रकबा 0.17 हेक्टेयर |
| 3. क्षेत्रफल | 0.16 हेक्टेयर एवं 0.17 है0 |
| 4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग | परिधि नियन्त्रण क्षेत्र |
| 5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग | आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. भू-स्वामित्व की स्थिति | अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी के अनुसार वैध है। |
| 7. प्रकरण के तथ्य :- | <p>1. प्रश्नगत भूमि छोटी सादडी नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 19.03.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल तक पहुंच मार्ग के लिए 40 फीट सड़क उपलब्ध है जिसकी चौड़ाई उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा के अनुसार 60 फीट प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में से 33 केवी उच्च क्षमता की एक विद्युत लाईन गुजर रही है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 17.07.2014 को प्रकाशित करायी गई थी। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैध है। परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 05.12.2014 द्वारा आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p> <p>5. आवेदित एक ही परिवार के आवेदकों का द्वारा अलग-अलग आवेदन कर भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है।</p> |
| 8. प्रस्ताव :- | <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमियाँ छोटी सादडी नगर की आबादी विस्तार के समीप ही है। तथा नगर से निकलने वाली प्रत्येक सड़क पर सड़क के सहारे-सहारे विकास हो रहा है। इसी क्रम में आवेदक की भूमियों का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. दोनों ही भूमियाँ एक ही परिवार की है। तथा समीप-समीप स्थित है। अतः भूमियों का ले-आउट प्लान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत किया जायेगा तथा इन्टीग्रेसन इस प्रकार से किया जायेगा कि दोनों भूमियों की सड़क जुड़ी हुई हो, तथा समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।</p> <p>2. आवेदित स्थल तक पहुंच मार्ग के लिए मौके पर 40 फीट सड़क उपलब्ध है जिसकी चौड़ाई 60 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 30 फीट की दूरी में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।</p> <p>3. आवेदित भूमि में से 33 के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है। अतः विद्युत लाईन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराया जायेगा अथवा विद्युत क्षमता के अनुसार आवेदित स्थल में से गुजर रही हाईटेंशन लाईन को नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक: प.18(44)नवि/जयपुर/2014 दिनांक 03.02.2015 के अनुसार एच.टी. लाईन के नीचे सैफ्टी कॉरीडोर निर्धारित कर योजना की प्लानिंग में समायोजन किया जावेगा।</p> <p>4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> |
| 9. | उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, छोटी सादडी व उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। |

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग

एजेण्डा नं. 30/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/आमेट

| शहर कस्बे का नाम | आमेट |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम | श्री प्यारे लाल पुत्र श्री चम्पा लाल, श्रीमती पुष्पा पत्नि श्री सुरेश कुमार, श्रीमती कमला पत्नि श्री नारायण लाल खटीक |
| 2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी | राजस्व ग्राम आमेट के खसरा नं 2930, 2931, 2932 रकबा 0.26 हेक्टेयर |
| 3. क्षेत्रफल | 0.26 हेक्टेयर |
| 4. संदर्भित भूमि का "लैंड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग | पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान |
| 5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग | आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. भू-स्वामित्व की स्थिति | अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट के अनुसार वैध है। |
| 7. प्रकरण के तथ्य :- | <p>1. प्रश्नगत भूमि आमेट नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान, दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 13.04.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो गये है। आवेदित स्थल तक दो पहुंच मार्ग उपलब्ध है। जिनमें से पश्चिम दिशा की ओर मास्टर प्लान के अनुसार 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है तथा पूर्व दिशा की ओर राजस्व रास्ता गुजर रहा है, जिसका मार्गाधिकार 40 फीट रखा जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 02.07.2015 व संशोधित अधिसूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.07.2015 को 7 दिवसीय प्रकाशित करायी गई थी।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र भाग "ब" के अनुसार भूमि का स्वामित्व वैध है। आवेदित भूमि को पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 06.10.2015 द्वारा आवेदित भूमि का पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p> |
| 8. प्रस्ताव :- | <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(35) नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि को पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में 60 फीट सड़क के पश्चात् अनुमोदित गणेश नगर की 0.44 हेक्टेयर की आवासीय योजना है। पत्रावली में संलग्न गणेश नगर की स्वीकृत आवासीय योजना का खातेदार श्री प्यारेलाल पुत्र श्री चम्पालाल खटीक है। तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर 2930, 2931, 2932 के भी आवेदक श्री प्यारेलाल पुत्र श्री चम्पालाल खटीक है। मास्टर प्लान अनुसार उक्त दोनों ही स्थलों पर यदि आवासीय योजना विकसित की जाती है तो दोनों भूमियों की एक कोने में होकर साइड में स्थित होने की वजह से मास्टर प्लान में से आरक्षित भू-उपयोग प्रभावित नहीं होता है। अतः दोनों ही योजना का एकीकृत विकास के मध्यनजर आवेदित भूमि का पार्क, खुले स्थल एवं खेल के मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के पार्क, खुले स्थल, खेल के मैदान से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित स्थल तक दो पहुंच मार्ग उपलब्ध है। जिनमें से पश्चिम दिशा की ओर मास्टर प्लान के अनुसार 60 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है तथा पूर्व दिशा की ओर राजस्व रास्ता गुजर रहा है। जिसका मार्गाधिकार 40 फीट रखा जाना प्रस्तावित है। अतः 60 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क के मध्य से 30 फीट दूरी में व 40 फीट रास्ते के मध्य से 20 फीट में आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पण की जानी होगी।</p> <p>2. दोनों ही भूमियों एक ही परिवार की हैं। तथा समीप-समीप स्थित है। अतः भूमियों का ले-आउट प्लान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत किया जायेगा तथा इन्टीग्रेसन इस प्रकार से किया जायेगा कि दोनों भूमियों की सड़क जुड़ी हुई हो।</p> <p>3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा, तथा समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।</p> <p>4. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, आमेट व उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p> |

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा नं. 31/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/कानोड

| शहर कस्बे का नाम | कानोड |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम | श्रीमति रोशन देवी हरिजन पिता मांगू |
| 2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी | राजस्व ग्राम कानोड के खसरा नं0 187 मी., 188 मी. रकबा 01-02-15 बीघा |
| 3. क्षेत्रफल | 01-02-15 बीघा |
| 4. संदर्भित भूमि का "लैंड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग | अन्य सामुदायिक सुविधाओं |
| 5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग | आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. भू-स्वामित्व की स्थिति | अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड के अनुसार वैध है। |
| 7. प्रकरण के तथ्य :- | <p>1. प्रश्नगत भूमि कानोड नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 23.04.2012 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि भटेवर से बांसी जाने वाली 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। आवेदित खसरा भूमि का कुछ भाग पूर्व में रूपान्तरण हो चुका है। उक्त भूमि विकसित क्षेत्र के पास स्थित है। आवेदित भूमि के मध्य में से विद्युत लाईन गुजर रही है। मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित भूमि नदी के समीप प्रतीत होती है।</p> <p>2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 24.07.2015 को प्रकाशित करायी गई थी। जिस पर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंका की है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 15.09.2014 द्वारा उक्त वर्णित खसरान का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होने की राय दी गई है।</p> <p>5. गत बैठक दिनांक 10.09.2015 में लिये गये निर्णय के क्रम में अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, उदयपुर के पत्र दिनांक 04.12.2015 अनुसार उक्त भूमि किसी भी नदी, नाले, पेटा, तालाब, जल भराव एवं जल बहाव क्षेत्र में नहीं है। तथा किसी परियोजना को प्रभावित नहीं करती है। अतः प्रश्नगत भूमि के आवासीय उपयोग हेतु सशक्त अनापत्ति दी गयी है।</p> |
| 8. प्रस्ताव :- | <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि को अन्य सामुदायिक सुविधाओं से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमि कानोड नगर की मुख्य सड़क पर स्थित होकर आसपास में हो रहे विकास के मध्य स्थित है। जल संसाधन खण्ड, उदयपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि किसी भी नदी, नाले, पेटा, तालाब, जल भराव एवं जल बहाव क्षेत्र में नहीं है। तथा किसी परियोजना को प्रभावित नहीं करती है। अतः आवेदित भूमि का अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि के अन्य सामुदायिक सुविधा से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि भटेवर से बांसी जाने वाली 100 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः सड़क की चौड़ाई 100 फीट कायम किये जाने हेतु सड़क के मध्य में से 50 फीट में आने वाली भूमि प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। 2. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाइट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा, तथा समस्त आन्तरिक विकास की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी। 3. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा। <p>नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> |
| 9. | उपरोक्त तथ्यों, अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कानोड व उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंका एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। |

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंका के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा नं. 34/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/चित्तौड़गढ़

| शहर कस्बे का नाम | चित्तौड़गढ़ |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम | श्री चन्द्रभान सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह चौहान |
| 2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी | राजस्व ग्राम चित्तौड़गढ़ के खसरा नं0 2876/1, 2876/2, 3490/2877 |
| 3. क्षेत्रफल | 0.5021 हेक्टेयर |
| 4. संदर्भित भूमि का "लैंड यूज प्लान (2025)" में दर्शाया उपयोग | व्यावसायिक (मास्टर प्लान में कृषि-पौधशाला, फलोध्यान/डेयरी/कुक्कुटशाला एवं फार्मस) |
| 5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग | आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. भू-स्वामित्व की स्थिति | अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, चित्तौड़गढ़ के अनुसार वैध है। |
| 7. प्रकरण के तथ्य :- | <p>1. प्रश्नगत भूमि चित्तौड़गढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2025 में आवासीय एवं कृषि (पौधशाला, फलोध्यान/डेयरी/कुक्कुटशाला एवं फार्मस) हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान-2025 दिनांक 15.04.2005 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रश्नगत भूमि चमकी खेड़ा को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट है। तथा भूमि के दक्षिण में 40 फीट सड़क के साथ भूमि का साइट प्लान स्वीकृत है। आवेदित भूमि का पूर्व में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 82 वीं बैठक दिनांक 09.05.2008 को व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया जा चुका है।</p> <p>2. प्राथी द्वारा अब उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्र दिनांक 03.12.2015 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा करते हुये प्रेषित किया गया है।</p> <p>4. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 24.01.2015 द्वारा भूमि के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गयी है।</p> |
| 8. प्रस्ताव :- | <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 28.10.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि को व्यावसायिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमि का पूर्व में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 82 वीं बैठक दिनांक 09.05.2008 को व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया जा चुका है। एवं अब आवेदक द्वारा निम्न श्रेणी का आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। अतः व्यावसायिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यक्षीन आवेदित भूमि का व्यावसायिक (होटल) से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. प्रश्नगत भूमि चमकी खेड़ा को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 100 फीट है। तथा भूमि के दक्षिण में 40 फीट सड़क के साथ भूमि का साइट प्लान स्वीकृत है। अतः स्वीकृत साइट प्लान अनुसार 100 फीट एवं 40 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जानी होगी।</p> <p>2. योजना/भवन का मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी-2010 तथा प्रचलित भवन विनियमों के तहत किया जाना होगा।</p> <p>3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाइट्स व Water Harvesting Structure, ठोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन अनिवार्य रूप से किया जावेगा।</p> <p>4. योजना/भवन में ठोस कचरा निस्तारण का प्रावधान अनुसार समायोजन अनिवार्य रूप से किया जावेगा। वेस्ट वाटर रिसाईक्लिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।</p> <p>5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>6. प्रश्नगत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में 15 दिवस की आपत्ति सूचना का प्रकाशन करवाया जाकर यदि आपत्तियां प्राप्त होती हैं तो नियमानुसार निस्तारण कर ही भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जावेगा।</p> <p>7. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> |
| 9. | उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ व उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। |

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्याधिन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा नं. 35/डीएलबी/एसटीपी/यूडीजेड/कुशलगढ़

| शहर कस्बे का नाम | कुशलगढ़ |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम | श्रीमती मंजुला पत्नि श्री मुकेश कुमार लुणावत एवं श्रीमती नीता पत्नि श्री मयंक कुमार लुणावत |
| 2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी | राजस्व ग्राम कुशलगढ़ के सर्वे नं. 121 |
| 3. क्षेत्रफल | 0.3844 हैक्टेयर |
| 4. संदर्भित भूमि का "लैंड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग | खेल के मैदान/स्टेडियम |
| 5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग | आवासीय प्रयोजनार्थ |
| 6. भू-स्वामित्व की स्थिति | अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कुशलगढ़ के अनुसार वैध है। |
| 7. प्रकरण के तथ्य :- | <p>1. प्रश्नगत भूमि कुशलगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में खेल के मैदान/स्टेडियम हेतु आरक्षित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 06.09.2004 को लागू किया गया। जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान में कुशलगढ़ से इन्दौर जाने वाली सड़क के पश्चिम में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 60 फीट सड़क पर स्थित है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर परिषद, कुशलगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2015 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा करते हुये प्रेषित किया गया है।</p> <p>3. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, कुशलगढ़ द्वारा प्रपत्र "ब" अनुसार स्वामित्व वैध है। तथा आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की है।</p> <p>4. प्रकरण में अधिशायी अधिकारी नगर पालिका द्वारा आपत्ति सूचना का प्रकाशन करवाया गया है, जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>5. उप नगर नियोजक, उदयपुर के पत्र दिनांक 18.11.2015 अनुसार कुशलगढ़ नगरीय क्षेत्र में खेल के मैदान, आमोद-प्रमोद हेतु 65 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। तथा खेल के मैदान एवं आमोद-प्रमोद हेतु भूमि की पर्याप्तता के सम्बन्ध में नगरीय निकाय से सूचना हेतु राई दी गयी है।</p> <p>6. नगरीय निकाय द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2015 अनुसार उप नगर नियोजक के पत्र दिनांक 18.11.2015 के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गयी है।</p> |
| 8. प्रस्ताव :- | <p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 6 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि को खेल के मैदान/स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</p> <p>आवेदित भूमि कुशलगढ़ मास्टर प्लान में प्रस्तावित खेल के मैदान की भूमि में कोने में होकर साइड में स्थित है। तथा उप नगर नियोजक द्वारा कुशलगढ़ नगर में कुल 65 एकड़ भूमि आमोद-प्रमोद/खेल के मैदान हेतु आरक्षित है, तथा अधिशायी अधिकारी द्वारा 65 एकड़ के संबंध में भूमि को पर्याप्त बताया है। अतः आवास एक मौलिक आवश्यकता के दृष्टिगत आवेदित भूमि का खेल के मैदान एवं स्टेडियम से सुनियोजित विकास के मध्येनजर आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्याधीन आवेदित भूमि का खेल के मैदान/स्टेडियम से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान में कुशलगढ़ से इन्दौर जाने वाली सड़क के पश्चिम में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 60 फीट सड़क पर स्थित है। अतः 60 फीट सड़क के केन्द्र से 30 फीट में आने वाली भूमि का प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण किया जायेगा।</p> <p>2. योजना/भवन का मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी-2010 तथा प्रचलित भवन विनियमों के तहत किया जाना होगा।</p> <p>3. भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय भवन में L.E.D. लाइट्स व Water Harvesting Structure, टोस कचरा प्रबन्धन का समायोजन अनिवार्य रूप से किया जावेगा।</p> <p>4. योजना/भवन में टोस कचरा निस्तारण का प्रावधान अनुसार समायोजन अनिवार्य रूप से किया जावेगा। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।</p> <p>5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</p> <p>7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> |
| 9. | उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, कुशलगढ़ व उप नगर नियोजक, उदयपुर की अभिशंषा एवं प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। |

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्याधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक